हुक़्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

27.08.2024

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली आज अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के आदेश सुनाए जाने हेतु पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किये जाने पर प्रकरण निस्तारण इस प्रकार किया जाता है संक्षेप में निर्णय इस प्रकार है कि –

प्रार्थना पत्र सं–41/2019 — बउनवान अमरलाल बनाम पन्ना लाल वगै0

दायरा दिनांक– 06.09.2019 — प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आरटीएक्ट

निर्णय

संक्षेप में सार इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212आर.टी.एक्ट पेश कर निवेदन किया कि खाता संख्या नयी 61 पुरानी 64 के खसरा संख्या 186 रकबा 1.77है0 किस्म नहरी प्रथम वाके ग्राम पटवार हल्का पापडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी में स्थित है जिसके राजस्व रिकार्ड में प्रतिपक्षी सं 1 लगायत 2 के नाम अंकित चली आ रही है जिसकी जमाबंदी सम्वत् 2072 से 2075 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। वादी वर्णित कृषि भूमि के पूर्व खातेदार मूल पुरूष औकांरदास वल्द सुखभजनदास जाति बाबाजी निवासी जाडला तहसील इन्द्रगढ़ थे जिनकी मृत्यु वर्ष 1977 को हो चुकी थी उनकी मृत्यु के बाद वैध उत्तराधिकारी प्रतिवादी सं 1 ता0 5 कमशः पन्नालाल, बाबूलाल, मदनलाल, राधेश्याम, गीताबाई व वादी अमरलाल मौजूद है किन्तु प्रतिपक्षी सं 1 ता 2 ने राजस्व कर्मचारियों से मिली भगत कर राजस्व रिकॉर्ड में अपने आपको वैध उत्तराधिकारी बताकर प्रार्थी को सुचना व सुनवाई का अवसर दिये बिना व बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बावजूद फजी तरिके से सम्पूर्ण कृषि भूमि को हडपने की मंशा से अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करवा लिया है जिससे प्रार्थी के वैधानिक व खातेदारी अधिकारों का कानुनी तौर पर कोई विपरित प्रभाव नहीं पडता है एवं कानून अधिकार समाप्त नहीं होते है। वाद वर्णित कृषि भूमि पर प्रार्थी व प्रतिपक्षी सं 1 ता 5 व प्राथी अपने अपने हिस्से 1/6–1/6 पर काबिज काश्त कर कृषि लाभ लेते चले आ रहे है। वाद वर्णित कृषि भूमि में से होकर भारत सरकार द्वारा दिल्ली से मुम्बई तक छः लाईन रोड बनाया जाना प्रस्तावित है। प्रार्थी का नाम जमाबंदी मे दर्ज नहीं होने से प्रतिपक्षी सं 1 ता 5 कृषि भूमि का सम्पूर्ण मुआवजा प्राप्त करने पर आमादा है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि मृतक औकारदास के बाद अंकित कराये गये फोती इन्तकाल शून्य इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर प्रार्थी सह खातेदार के रूप में 1/6 हिस्से पर खातेदार घोषित करवाकर अपना स्वतंत्र खाता अंकित करवाये। अन्त में प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रतिपक्षी सं 1 ता 3 तथा 7 लगायत 9 को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थिगण को नोटिस जारी किए गए। प्रतिपक्षी सं 1 पन्नालाल की मृत्यु दौराने वाद हो जाने से उनके कायम 1/1 लगायत 1/4 को रिकॉर्ड पर लिया जाकर संशोधित शीर्षक पत्रावली में पेश हुआ। प्रतिपक्षी सं 1/1 लगायत 1/4 व 5 की तरफ से इकबालिया जवाब पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थी अमरलाल मृतक औंकारदास का कानुनी उत्तराधिकरी है। प्रार्थी को उनके हिस्से 1/6 का सहखातेदार घोषित किए जाने व विधिवत विभाजन किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। शेष प्रतिपक्षीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनकी विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

उपखण्ड अधिकारी
कापरेन (बून्दी)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दोहराव करते हुए कथन किया कि दोराने वाद प्रतिपक्षी राजस्व रिकार्ड में अपने नामका लाभ लेकर सम्पूर्ण भूमि के बाबत् भूमि अवाप्ति अधिकारी से अवाप्त राशि प्राप्त करने में कामयाब होता है तो प्रार्थी को भारी अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किया जाना संभव नहीं है इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रतिपक्षी अधिवक्ता ने प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में अनापत्ति पेश की। बहस समाहत पत्रावली की गई।

हमने उभयपक्ष विद्धान अधिवक्ताओं की बहस को घ्यानपूर्वक सुना एवं बहस पर मनन किया गया । पत्रावली में उपस्थित दस्तावेज, जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रतिपक्षीगण के जवाब में अंकित कथन एवं प्रस्तुत दस्तावेज से साबित होता है कि प्रार्थी अमरलाल वाद वर्णित कृषि भूमि पूर्व खातेदार मूल पुरूष औकांरदास वल्द सुखभजनदास जाति बाबाजी निवासी जाडला तहसील इन्द्रगढ़ के वैध उत्तराधिकारी है। पत्रावली में उपस्थित जमाबंदी सम्वत् 2072–75 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि वाद विषयक कृषि भूमि पर प्रतिवादी सं 1 ता 2 का नाम अंकित है। प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी अमल लाल का भी वाद विषयक कृषिभूमि पर हक अधिकार निहित है। प्रार्थी के नाम फौती इन्तकाल तस्दीक नहीं होने से प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नहीं है। नामान्तकरण की कार्यवाही से किसी व्यक्ति के हक व अधिकारों का विधिवत निर्णय नहीं किया जा सकता है और न ही खातेदार के खातेदारी अधिकार कानूनी रूप से समाप्त होते है। वाद विषयक कृषि भूमि में निहित हक व अधिकारों का निर्णय मूल वाद में उभयपक्ष के साक्ष्य लिए जाने के बाद किए जा सकेगा। प्राथमिक दृष्ट्या सुविधा का सन्तुलन का भार व अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होती है। अतः मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आंशिक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा ता फैसला मूल वाद तक वाद विषयक कृषि भूमि खसरा संख्या 186 रकबा 1.77है0 किस्म नहरी प्रथम वाके ग्राम पटवार हल्का पापडी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी पर प्रतिपक्षी सं 1 ता 3 को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह भूमि आवाप्त राशी का भुगतान प्राप्त नहीं करें न स्वयं करे न ही अपने किसी प्रतिनिधी से करावें तथा प्रतिपक्षी सं 8 ता 9 प्रार्थना पत्र में अंकित अवाप्त कृषि भूमि के संबंध में अवाप्त राशी का चैक प्रतिपक्षी सं 1 ता 3 के नाम जारी नहीं करें। पत्रावली फैसल शूमार होकर प्रकरण दर्ज नम्बर से कम होकर संलग्न मूल वाद रहे।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी(बून्दी)